:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य/के.भं./44/2022-23/18779 दिनांक:09.06.2022

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु एक्स-रे बैगेज स्केनर-16 नग, चपाती मैकिंग मशीन-24 नग एवं सोलर लाईट-200 नग एवं आटा गूंथने की मशीन (बडी-4 नग एवं छोटी-7 नग) क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 10.06.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड़ प्रारम्भ की तिथि	10/06/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	10/06/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	30/06/2022 को प्रात:काल 11.00 AM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	30/06/2022 को दोपहर 02.00 PM से
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर
6.	प्री-बिड मीटिंग दिनांक	15/06/2022 को दोपहर 02.00 PM से

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट *www.home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट *www.sppp.rajasthan.gov.in* पर देख सकते हैं। UBN No-JLD2223GLOB00026 to JLD2223GLOB00028
UBN No-JLD2223GSOB00029, JLD2223GSOB00030

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / 44 / 2022-23 / 18779-85 दिनांक:09.06.2022

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव...।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों में और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 20 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय बैवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./44/2022-23/ 18779 दिनांक: 09/06/2022

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु एक्स-रे बैगेज स्केनर-16 नग, चपाती मैकिंग मशीन-24 नग एवं सोलर लाईट-200 नग एवं आटा गूंथने की मशीन (बडी-4 नग एवं छोटी-7 नग) क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 10.06.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1	एक्स-रे बैगेज स्केनर	16 नग	160.00	1000/-	30 दिवस
2	चपाती मैकिंग मशीन	24 नग	60.00	1000/-	
3	सोलर लाईट	200 नग	30.00	500/-	
4	आटा गूंथने की मशीन-बडी	04 नग	2.60	500/-	
5	आटा गूंथने की मशीन-छोटी	07 नग	3.50	500/-	

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। आईटम की क्वालिफाईड बिड दिनांक 29.06.2022 को खोली जानी प्रस्तावित है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तो एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http://*www.home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।

अति०महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

:: बोली (bid) की मुख्य शर्तें::

1. **शुल्क (fees)-**

(अ) प्रत्येक सामग्री की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस पृथक-पृथक देय होगे।

(ब) ई-बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा दी जायेगी।

(स) ई-बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा अलग से दी जायेगी।

1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है रूपये 500/-प्रति बोली
2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है- रूपये 1000/-प्रति बोली

निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) के ई-ग्रास चालान ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।

(द) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि/बिड सिक्यूरिटी राशि शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ई-ग्रास पोर्टल पर चालान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के पक्ष में बनाया जाना है, शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	ई-ग्रास बजट मद का विवरण
बोली प्रपत्र शुल्क	बोली में निर्धारित राशि अनुसार	0075-00-800-52-01
प्रोसेसिंग फीस	बोली में निर्धारित राशि अनुसार (एम.डी, आर.आई.एस.एल(MD RISL))	8658-00-102-16-01
बोली प्रतिभूति राशि	उपकरण/सामग्री की कुल अनुमानित कीमत का 2%	8443-00-103-00-00

2. पात्रता (eligibility)-

(i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले

से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाएँगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना होगा।

3. **अनुभव (experience)-**

(अ) बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम/समकक्ष का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था में विगत पांच वर्षो में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत राशि आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(ब)बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत तीन वर्षो (2019-20, 2020-21 व 2021-22) का औसत वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत तीन वर्षो (2019-20, 2020-21 व 2021-22) का औसत वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम पांच गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. **दस्तावेज (document)-**

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/ GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

(v) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक-'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. **वैधता (validity)-**

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. **प्री बिड-**

बोली में निर्धारित तिथि व समय को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी। जिसमें संभावित आपूर्तिकर्ता बोली से संबंधित स्पष्टीकरण (यदि कोई हो तो) प्राप्त कर सकेंगे। प्री-बिड मीटिंग में बोली से संबंधित प्रश्न, समस्या, सुझाव आदि पर चर्चा की जायेगी।

7. **बोली दस्तावेज में परिवर्तन-**

बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि-पत्र जारी कर बोली दस्तावेज में परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व इसके लिए उपापन संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

8. **अन्य शर्त-**

(i) उपरोक्तांकित शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक-अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर प्राधिकृत डीलर के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

9. **सामान्य सूचना-**

(i) यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit)

किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(iii) विस्तृत शर्तो को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट- अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)-अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

(v) उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

(vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।

(viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप कय किये जाने वाले उपकरण/ सामग्री की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त भी की जा सकती है।

10. सामग्री/उपकरण निम्न गुणवत्ता की होने पर उस सामग्री/उपकरण को उपापन संस्था अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी।

11. ई-बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेसिफिकेशन में अंकितानुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ इंस्टॉलेशन तिथि से होगी।

12. ई-बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति बोली में निर्धारित अवधि में महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करनी होगी। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों का विभागीय निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिलों का बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया जायेगा।

13. ई-बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों को फर्म द्वारा राज्य की संबंधित कारागृह पर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इन्स्टॉलेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
14. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा सामग्री/उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपकरण हेतु आवश्यक होने पर विभाग द्वारा निर्धारित कम से कम 10 कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating procedure)/तकनीकी नियमावली (Technical Manual) तैयार कर उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रशिक्षण व नियमावली के लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
15. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई सामग्री/उपकरणों में किसी भी प्रकार की तकनीकी/अन्य खराबी होने अथवा मशीन/उपकरण के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा दूरभाष/लिखित में शिकायत दर्ज कराने पर तीन दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुरूस्त करना होगा। फर्म का प्रतिनिधि/इंजीनियर तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना/पैनल्टी 500 रूपये /निर्धारित राशि प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा।
16. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी होने पर पार्ट्स/पुर्जो अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।
17. आवश्यकता होने पर क्रय समिति द्वारा चाहे जाने पर ई-बोली सूचना में अंकित सामग्री का डेमो/प्रजेन्टेशन ऑनलाइन/ऑफलाईन मोड पर करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्चा संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। Demonstration/Presentation में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।
18. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।
19. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही ई-बोली भरी जावें।

20. ई-बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत् आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमत: समस्त बोली की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्ड़ो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/ सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
21. एक्स-रे बेगेज स्केनर के लिए वांछित गाइडलाईन का पालन किया जाना आवश्यक है।
22. फर्म द्वारा भेजे गये किसी भी कार्मिक/संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री लाने पर कानूनी कार्य की जायेगी।
23. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर बोली के साथ ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. आइटम/उपकरण की आपूर्ति क्रयादेश तिथि से 30 दिवस में करनी होगी।
25. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :-

    महानिरीक्षक पुलिस (कारागार), राजस्थान, जयपुर।
    दूरभाष नं..0141-2609202
    ई-मेल purschasejhq@gmail.com

अति0महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।
(बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड) -

परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक: दिनांक-

(I) .... के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम...
पूर्ण पता, ...
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई मेल ....

(III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर ।

(IV) सन्दर्भ :-बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-................................
दिनांक ....

(V) राशि का विवरण:-
(1) बोली प्रपत्र शुल्क की ई-ग्रास चालान संख्या .... दिनांक ....राशि........
(2) प्रोसेसिंग फीस ई-ग्रास चालान संख्या ....दिनांक........राशि.. ....
(3) बोली प्रतिभूति राशि ई-ग्रास चालान संख्या.............दिनांक.......... राशि.........

(VI) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तो का स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं।

(VII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

(VIII) हम सम्पुष्टि(confirm)करते है कि ''प्राईसबिड'' में अंकित की गई दरें ''बोली की वैधता'' प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक तक मान्य होगी।

(IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईसबिड'' में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''इ'' में अंकित आईटम/उपकरण के लिये है ।

(X) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या........................है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना सें निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।

(XII) हम सम्पुष्टि करते है कि हमारी फर्म किसी भी विभाग द्वारा कालीसूची मे नही है तथा दिवालिया घोषित नही है।

(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं/लागू नहीं	जारी दिनांक/ वैधता दिनांक	पेज संख्या
1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।			
2.	बोलीदाता फर्म का नाम			
	पता			
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता			
3.	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र			
4.	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)			
5.	अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)			
6.	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति			
7.	जीएसटी रिटर्न/जीएसटी चालान की स्कैन प्रति अथवा ना-बकाया का शपथ-पत्र			
8.	उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार की स्कैनप्रति			
9.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 10 के तहत प्रपत्र 'अ'			
10.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 11 के तहत प्रपत्र 'ब' में शपथ पत्र			
11.	बोली दाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र			
12.	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार			
13.	वार्षिक टर्न ओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज			

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है ।

नोट:-उक्त सूची में जिन वांछित दस्तावेज का विवरण फर्म पर लागु नहीं है उस पर लागू नहीं का उल्लेख किया जाए।

1. उपरोक्त अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नही उसके सम्मुख Yes or No, दस्तावेज जारी होने की तिथि, (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. बोली भरने की प्रकिया :-

(ए)परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईग बिड है, क्वालीफाईग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

(बी)परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

1. ---------------------------- क्रय करने के लिए ई-बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
   पूर्ण पता :-..
   ....
   दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-..................................
   ....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ:- सामान्य/के.भं./44/2022-23/............. दिनांक: / /2022
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-
   (क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
   (ख) मात्रा :-...
   (ग) दरें-एफ.ओ.आर.निम्नानुसार अंकित करे:-
   (i) दरें -(प्रति नग):-

क्र. सं.	वस्तु/आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति सैट/नग	जीएसटी राशि रूपये	कुल योग
1.	एक्स-रे बैगेज स्कैनर	16 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
2.	चपाती मैकिंग मशीन	24 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
3.	सोलर लाईट	200 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
4.	आटा गूंथने की मशीन-बडी	4 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
5.	आटा गूंथने की मशीन-छोटी	7 नग	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		

परिवहन, पैंकिग चार्ज व इन्सटॉलेशन चार्ज दरों में शामिल किया जावेगा। उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट:(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे।

(ii)अस्पष्ट वाक्य जैसे:- टैक्स पेड, कर सहित, एज़ एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।
परिशिष्ट-"स"

बोली आमंत्रण सूचना कमांक ....

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः- बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।

2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :-

(अ) निर्माता द्वारा बोलियां:-

(i) सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण:-

(i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन ।। अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।

(ii) उक्त उधमियों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलीयों (बिड) के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म

जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन IIअभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II)प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन (procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदशिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं.10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM II) एवं बिन्दु सं.11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रकिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस कम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/-रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के

अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में महानिदेशक कारागार, राजस्थान को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. <u>जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र</u>/जीएसटीआर (GST Return) व चालान की प्रति :-

(i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar)किया जा सकता है।

7 **दरें :-**

(i) बोली में दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

(क) इकाई मूल्य(Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया

जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे । टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट ''इ'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ. ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट 'इ'' में अंकित परिसरों पर दी जाऐगी ।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे ।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(vii) सप्लाई द्वारा माल प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, माल को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्सम्बंधी भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके

कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी । बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. दरों की तुलना:-

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नही करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शामिल करने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगो द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत कय वरीयता दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर कय अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

9. **बातचीत (Negotiation):-**

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में ज्यादा अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय

सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. **बोली की विधि मान्यताः-**

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर-प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा ।

13 **स्पेसिफिकेशनः-**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/ सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा । अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट,फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।

(iii) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14 **निरीक्षण एवं परीक्षणः-सामान्यतः विभागीय निरीक्षण समिति के माध्यम से सामग्री का निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण में अनुरूप पायी गई सामग्री को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्न शर्ते भी लागू रहेंगीः-**

(i) (A) महानिदेशक कारागार या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगे तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे।

(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

(iii) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) **निरीक्षण प्रभारः-** विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) **रद्द करना (Rejection):**-निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा कय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

15. **माल की सप्लाई :-**

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी ।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाऐगा। परिवहन के लिए उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी

17. **सुपुर्दगी अवधि(Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट-'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्वि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इंस्टॉलेशन किया जाना है वहॉ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेंगे।

18. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियॉ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

19. **<u>संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन</u>** :-सामान्यत: उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

20. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

(i) बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगो की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो

से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/उपक्रमों/कंपनी/बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

(iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो; के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :

(क)जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख)जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग)जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ)जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

21. **करारः-**

(अ) बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।

करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

22. **कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security):-**

(i) **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः**-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हों तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर होगी।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।

(v) इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(vi) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगीः-**

(क) ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

1. अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. सुरक्षा राशि व बोली प्रतिभूति की दर को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2020 के द्वारा पूर्व की दरों को संशोधित किया गया है। संशोधित दरें, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम (संशोधित) 2020 से 31.12.2021 तक लागू रहेगी।

(vii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Stggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(viii) सुरक्षा राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit):- सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किथा जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(ix) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(x) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

(xi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए ।

23. **बीमा:-**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएँगे। आपूर्तिकर्ता चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. **भुगतान:-**

(i) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे।

(iii) विवादास्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

25. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :-**

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए-2.5%,

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए -5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु -7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए,

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%,

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो केताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट: प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी ।

26. **वसूलियाँ:-**परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

27. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वंय की व्यवस्था करनी होगी ।

28. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जाएँगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।
33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
34. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

अति0महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार करने के
प्रमाण-स्वरूप)

परिशिष्ट ''द''

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/ थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of .... We hereby certify that M/S Name)... of (Address) .... is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No.............................Dtd.....................We hereby undertake to supply the material through him as desired.

(.....................................)

Name ....

Signature Attested

Signature of Manufacturer

Name ....

Designation..................

Seal of Manufacturer

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice Inviting Bid No............... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2)The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a)Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c)The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e)Applicability of the provisions of confidentiality.

(5)Form of Appeal

(a)An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.

(b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6)Fee for filing appeal

(a)Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

(b)The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a)The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

Form No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No...........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer
   :..
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

Annexure - D

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

m

परिशिष्ट 'इ'

स्पेसिफिकेशन

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

राज्य की कारागृहों हेतु एक्स-रे बैगेज स्केनर-16 नग, चपाती मैकिंग मशीन-24 नग एवं सोलर लाईट-200 नग एवं आटा गूंथने की मशीन (बडी-4 नग एवं छोटी-7 नग)-11 नग क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। क्रय के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन अादि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि : 30 दिवस

(ग) कुल मात्राः. निविदानुसार

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

X-ray Baggage Scanner:-

S.N.	Parameter	Specification
1	Operating Voltage	230AC 50HZ Power Supply And should be able to with stand Voltage fluctuations in the range of 170v to 260v.
2	Tunnel Size	600-650 MM [W] X 400-450 MM [H] or Better
3	Penetration	33mm Thickness of Steel or more
4	Resolution	The machine should be able to display single uninsulated tinned copper wire of 38 SWG wore. All penetration and resolution Condition should be met without pressing any functional key and should on line.
5	Monitor	The machine should be able to produce clear image on dual/single LCD monitor for colour and B/W image.
6	Zoom	Zoom facility should be available to magnify the chosen area of and image sixty four times [x64] or more. Image feature should be key board control label.
7	Film safety	The machine should be film safe. In other word photographic films must not be damage due to x-ray examination.
8	Imaging Facility	The machine should have features of multi energy x-ray imaging facility where materials of different atomic number will be displayed in different colours to distinguish between organic and inorganic materials with this colour's to distinguish between organic and inorganic materials with this method it should be possible to distinguish high-density organic materials including explosive. Machine should have variable colours or material stripping to facility the operator monitor image of organic materials for closer scrutiny. All suspicious items [Explosive, High density materials, narcotics] Should be displayed in one mode and that should be on line.
9	X-ray leakage	The radiation level should not exceed accepted health standard [0.1 mr/HR] at distance of 5cm from external housing.
10	Safety screens	Lead impregnated safety screens should be available at either ends of tunnel, idle rollers to be provided at either ends of the tunnel to facilitate placing of baggage at the inputs and output points.
11	Beam divergence	The x-ray beam divergence should be such that the complete image of maximum size of bag is displayed without corner cuts with edge enhancement imaging.

12	Contrast	Facility for variable Contrast must be in corporate to allow enhancement of lighter and darker portion of the images. The scanned image should be displayed in four [4] or more colours.
13	Audio visual alarm	If the machine fail to penetrate a particular items then alarm [visual and audio both] should be generated to notify the operator.
14	TIP Software	The threat image projection (TIP) system software to be incorporated in all X-ray baggage inspection operation.
15	Locking	Control desk with security housing and locking provision with console table should be available. The operator personal indentification number can be entered through keyboard.
16	Image enhancement	Facility of image enhancement and image imitation should be available.
17	Conveyor belt speed	Conveyor belt speed should be at least 0.2 meter per second
18	Password	All software features of machine should be online and password protected.
19	Error message	In case of defective diode arrays. Scanning should be disabled and error message should be displayed on the screen.
20	Software	System should work on one software only, All software features should be controlled from keyboard of machine only, keyboard function should be user friendly to enable/ disable the software features system should not be rebooted.
21	Recording Image Transfer	All models should have online recording facility and images can be transferred to external storage device through USB Port.
22	Diagnosis	All models should have software controlled diagnosis report facility and system should give print out - if printer is connected. it should have self diagnose in real time.
23	Operating/storage temperature	The operation temperature should be 0^0c to 50^0C and storage temperature 20^0c to 60^0c.
24	Protection	Anti rodent and dust proof cover must be provided.
25	ISO certification	The company manufacturing the equipment should have ISO certification for manufacturing and servicing of X-Ray screening machine in India.
26	Software enhancement	The machine should be so designed that software enhancement can be easily implemented to take care of new technique in image processing and pattern recognition.
27	Through put	Through put shall be 300 bags per hour for hand and checked baggage.
28	Safety	The machine must comply with requirement of health and safety regulations with regard to mechanical, electrical, and radiation hazards. Before installation of the machine, the supplier/manufacturers should furnish NOC from Atomic Energy Regulatory Board Offered (AERB) of India regarding radiation safety.
29	Image review	Machine should be capable of recalling minimum 15 or more previous images.
30	Image archiving	It should have the capability of archiving 50000 images.
31	Additional Accessories	1. In any out roller of minimum 0.6m length each is to be provided on both sides of machine. 2. 2KVA on line UPS with 30min. power back up in case if power failure. 3. Table to in mount LCD monitor.
32	Operating manual	One operating manual shall be provided with each machine.
33	Combined Test Piece (CTP)	The manufacture shall provide one set of CTP per machine for checking serviceability of the machine by the operator.
34	Warranty	2 Year

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

<u>नमूना एवं परीक्षणः–</u>

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट किया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

Chapati Making Machine Semi Automatic type-

Specification

1. Capacity : Should be capable of preparing chapati from Dough Ball 'Loi - लोई' being put in & baking the Chapatti properly from both sides.
   :Should be capable of making 800-1000 chapati/hour and of working for long hours continuously.
2. Baking Process : Chapati should be fully baked on both sides.
3. Weight of Chapati : 25gms to 50 gms approx.
4. Chapti thickness : 1.5 mm to 2.5mm approx.
5. Chapati Size : Upto 7 inches.
6. Frame of machine : Steel frame body & cover (rust free).

Warranty:- Minimum Two year Comprehensive warranty to repair and replace all mechanical & electrical parts free of cost against any manufacturing defect.

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट किया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

Specification of Solar Light

1.	PV Module	:	75 Watts under STC - Indigenously manufactured PV module should be used - PV module should have crystalline silicon solar cells conforming to IEC 61215 Edition II/ BIS 14286 from an NABL or IECQ accredited Laboratory.
2.	Battery	:	BIS Certified Lithium-Ion Battery 30AH Battery
3.	Autonomy	:	Backup as per available battery capacity.
4.	Light Source	:	WARM/Cool White LED(5500-6500K)
5.	Light out put	:	Minimum 40 to 60 LUX when measured at the periphery of 05 meter diameter from a height of 5 meter and minimum18 Watt LED fixture. The illumination should uniform without dark bands or abrupt variations, and soothing to the eye. Higher light output will be preferred.
6.	Mounting of light	:	Minimum 5 meter pole mounted
7.	Panel Efficiency	:	Min 90%
8.	Duty Cycle	:	To give light from dusk to dawn
9.	Autonomy	:	3 days (minimum 45 operating hours per permissible discharge.
10.	Warranty	:	OEM Onsite Comprehensive warranty of (i) 2 Yrs. for Battery & LED (ii) 25 Yrs. for PV Module as per MNRE Guidelines.

11. Test reports and certification requited
   a. UL, Salt Mist and BIS (BIS14286/IEC61215 Certified) test report of Panel required from panel manufacturer.
   b. ISO, IS 16046/IEC 62133, BIS etc certification and test report required from battery manufacturer.

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट किया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

आटा गूंथने की मशीन -

(ख) मात्रा : **1.** आटा गूंथने की मशीन (छोटी) -(9 K.G.)-

2. आटा गूंथने की मशीन (बडी) (15 K.G.)-

Technical Specifications of Electrically Operated Dough Kneader

1. Capacity : 9kg/15 kg Dough in 15 minutes.
2. Frame : Steel Frame with S.S Bowl.

Warranty:-Two year complete warranty to repair and replace all mechanical & electrical parts free of cost against any manufacturing defect.

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

<u>नमूना एवं परीक्षणः–</u>

2. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट किया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)